

# राज्य साख योजना 2009-10

## STATE CREDIT PLAN 2009- 10

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम:- संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर।

|  |   |
|--|---|
| <p>1 योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित।<br/>(यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप योजनावार प्रेषित की जाए।<br/>Name of the Scheme with sub-components, if any.</p> | <p>सूक्ष्म सिंचाई योजना गैर उद्यानिकी फसलों के लिये<br/><br/>Under promotion programme of Sprinkler &amp; Drip system for Agriculture crops</p>   |
| <p>2 क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।<br/>Whether it is a government of India/State Government sponsored Scheme?</p>   | <p>केन्द्र प्रवर्तित योजना<br/><br/>Centrally Sponsored scheme</p>  |
| <p>3 राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग<br/>Nodal Department/Directorate at the State level<br/>responsible for implementing the Scheme</p>                         | <p>छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड<br/><br/>C.G. State seed &amp; Krishi Vikas Nigam Ltd.</p>  |
| <p>4 जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग<br/>Nodal office at the District level<br/>responsible for implementing the Scheme</p>   | <p>शाखा प्रबंधक छ.ग. राज्य एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड<br/><br/>Branch Manager C.G. State Seed &amp; Krishi Vikas Nigam Ltd.</p>  |
| <p>5 योजना का उद्देश्य<br/><br/>Objective of the Scheme</p>  | <p>1. प्रदेश के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने नलकूप निर्माण के लिये अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।<br/>2. राज्य के सिंचित क्षेत्र वृद्धि करना।<br/>3. सिंचित रकबे में वृद्धि के साथ साथ विभिन्न फसलों की उत्पादक एवं उत्पादन में वृद्धि<br/>1. Subsidy provide to farmers for tubwell digging to increase the irrigation efficiency of the farmers,<br/>2. To increase the irrigation acentage of State<br/>3. To increase the production and productivity of different crops</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>6 क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखंडों के नाम दर्शाये जाए।</p> <p>Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State ? If not, indicate the regions/districts/ blocks where the Scheme is under implementation</p> | <p>राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित है।</p> <p>This Scheme is being implementing in all district of the State.</p>  |
| <p>7 किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष/महिला आदि</p> <p>Type of Beneficiaries covered under theScheme.<br/>(SF/MF/OF/SC/ST/Others/Men/Women, etc.)</p>  | <p>सभी वर्ग के कृषक अनुदान के पात्र हैं।</p> <p>All categories of farmers will benefishries of the Scheme.</p>  |
| <p>8 हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो</p> <p>Eligibility criteria for the beneficiary, if any</p>   | <p>1. स्वयं के व्यय अथवा बैंक ऋण से 5 हेक्टर तक के लिये सिंप्रंकलर पर अनुदान की पात्रता।</p> <p>2. अन्य कृषि कार्य में बैंक ऋण प्रकरण में कृषक का डिफाल्टर न होना।</p> <p>3.अनुदान राशि छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को दी जावेगी।</p> <p>Eligibility for subsidy-</p> <p>1. Self expense or bank loan sanctioned for tubewell digging and pump establishment except subsidy amount</p> <p>2. Should not be defaulter in any bank loan</p> <p>3. subsidy will be given to C.G. State Seed &amp; Krishi Vikas Nigam Ltd.</p> |
| <p>9 क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।</p> <p>Whether assistance is provided on an individual basis/group basis or both</p>   | <p>योजनान्तर्गत सहायता व्यक्तिगत स्तर पर दी जाती है।</p> <p>Loan sanctioned for individual case under the Scheme</p>  |

|            |  |   |           |           |                         |          |            |       |      |      |      |           |                      |           |           |       |      |      |
|------------|--|---|-----------|-----------|-------------------------|----------|------------|-------|------|------|------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-------|------|------|
| 10         | <p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषय विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये।</p> <p>Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category- wise details Rate (%)</p> <p>Minimum<br/>Maximum<br/>GOI Contribution<br/>State Government Contribution</p> | <p>सभी वर्ग के कृषकों को निम्नानुसार अनुदान है।</p> <table border="1" data-bbox="885 268 1344 436"> <tr> <td>विवरण</td> <td>इकाई लागत</td> <td>लघु सीमांत एवं कृषक 70%</td> <td>अन्य 50%</td> </tr> <tr> <td>स्प्रिंकलर</td> <td>14270</td> <td>9989</td> <td>7135</td> </tr> </table> <p>Subsidy patten for All category formers as follows</p> <table border="1" data-bbox="885 562 1383 751"> <tr> <td>Item</td> <td>Unit Cost</td> <td>Small &amp; Marginal 70%</td> <td>Other 50%</td> </tr> <tr> <td>sprinkler</td> <td>14270</td> <td>9989</td> <td>7135</td> </tr> </table> | विवरण     | इकाई लागत | लघु सीमांत एवं कृषक 70% | अन्य 50% | स्प्रिंकलर | 14270 | 9989 | 7135 | Item | Unit Cost | Small & Marginal 70% | Other 50% | sprinkler | 14270 | 9989 | 7135 |
| विवरण      | इकाई लागत  | लघु सीमांत एवं कृषक 70%   | अन्य 50%  |           |                         |          |            |       |      |      |      |           |                      |           |           |       |      |      |
| स्प्रिंकलर | 14270  | 9989  | 7135      |           |                         |          |            |       |      |      |      |           |                      |           |           |       |      |      |
| Item       | Unit Cost  | Small & Marginal 70%  | Other 50% |           |                         |          |            |       |      |      |      |           |                      |           |           |       |      |      |
| sprinkler  | 14270  | 9989  | 7135      |           |                         |          |            |       |      |      |      |           |                      |           |           |       |      |      |
| 11         | <p>क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है। यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.</p>   | <p>विभाग द्वारा प्रकरण स्वीकृत करने हेतु किसी प्रकार के मार्जिन मनी जमा नहीं कराई जाती किंतु कृषकों को ऋण स्वीकृत करवाने हेतु बैंक द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करना होता है।</p> <p>No provision for margin money but required bank formalities should fulfill by farmers for loan sanctioning bank</p>  |           |           |                         |          |            |       |      |      |      |           |                      |           |           |       |      |      |